

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग



वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परिक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2014-15

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

मधु पिल्लै चौक, राम मंदिर के सामने, शांति नगर, रायपुर

दूरभाष : (0771) 2446018, फैक्स: (0771) 4070131

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम - 2005 के अंतर्गत स्थापित]



वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्पर्कित प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष 2014 - 2015

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्पर्कित प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष 2014 - 2015

(1) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (विनियामक आयोग) की स्थापना 2 अक्टूबर 2002 को तथा उन्नीसवें अप्रैल 17 अप्रैल 2004 को घोषित की गयी। इसकी विवरणीय जांच का विवरण निम्नानुसार है।

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

मधु पिल्ले चौक, राम मंदिर के सामने, शांति नगर, रायपुर

दूरभाष : (0771) 2446018, फैक्स : (0771) 4070131

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (छत्तीसगढ़ विविध संस्कृति)

मुख्य मिस्टर चैक, राज सरिंह के इमारे, अदिकारा बजार, छत्तीसगढ़ 799007

फोन नं. 06762 2446012, फॉक्स नं. 0777-407 0121

ई-मेल : chhattisgarhprivateuniversity@gmail.com

प्रकाशन - 410/एस आर एस / 163 दिनांक 20/08/2015 द्वारा दिलाई गई।

मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ विविध संस्कृति
छत्तीसगढ़ विविध संस्कृति
मुख्य सचिव
मुख्य सचिव

दिव्य - वित्तीय वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं उत्तराधिकारीदा प्रतिवेदन।

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्पर्क्षा प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष 2014 - 2015

- टीप :- (1) छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम (क्रमांक 2 सन् 2002)यथा संशोधित 17 मार्च 2004 की धारा 24 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित आयोग।
- (2) उक्त अधिनियम का निरसन एवं व्यावृत्ति छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन)अधिनियम 2005,(क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 44 दिनांक 25 अगस्त 2005 को किया गया।

प्रकाशन - 410/एस आर एस / 163 दिनांक 20/08/2015 द्वारा दिलाई गई।



छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

(छत्तीसगढ़ शासन)

मधु पिल्ले घोक, राम मंदिर के सामने, शांति नगर रायपुर (छ.ग.) 492007

दूरभाष नं. 0771-2446018, फैक्स नं. - 0771-4070131

ईमेल-cgpurc@gmail.com

क्रमांक – 426 / ए.ए.आर.सी. / 166 / ए / 2005 /

रायपुर दिनांक / / 2016

प्रति,

प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन,
नया रायपुर (छ.ग.)

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014–2015 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन।

—0—

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम 2005 की कंडिका 22 में यह प्रावधान है, कि “आयोग प्रत्येक वर्ष के लिए एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा जिसमें उस वर्ष के कियाकलापों का लेखा-जोखा दिया जाएगा। नियम 2005 की कंडिका 23 (ग) में यह भी प्रावधान है कि आयोग के वार्षिक लेखा को चार्टर्ड एकाउटेट द्वारा प्रमाणित करा कर उनका सम्परीक्षा प्रतिवेदन तैयार कराया जाएगा। कंडिका 22 एवं 23 की व्यवस्था के अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन के साथ वित्तीय वर्ष की वार्षिक लेखा सम्परीक्षा की प्रतिलिपि संलग्न कर उच्च शिक्षा विभाग को आयोग द्वारा अग्रेषित किया जाना है तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उसे विधानसभा के पटल पर रखा जाना है”।

उक्त वैधानिक व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014–2015 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसे आयोग ने बैठक दिनांक 29 / 02 / 2016 को विचार कर अनुमोदन किया है। आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ० ओम प्रकाश वर्मा)

अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष 2014–2015

आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 22 के अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसमें वर्ष भर के किया-कलापों का लेखा-जोखा दिया गया है। उक्त वार्षिक प्रतिवेदन उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु प्रस्तुत हैं।

1. विनियामक आयोग – पदाधिकारी एवं अधिकारी

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 36 के अनुसार निजी विश्वविद्यालयों के विनियमन के लिए राज्य स्तर पर एक विनियामक आयोग स्थापित किया जायेगा जो राज्य शासन, एवं केन्द्रीय नियामक अभिकरण के बीच अध्यापन, परीक्षा शोध एवं अन्य कार्यक्रम में यथोचित मानक स्तर सुनिश्चित करने, विद्यार्थियों के हित संरक्षण तथा कर्मचारियों को तर्कसंगत सेवा शर्ते सुनिश्चित करने के लिए होगा, साथ ही विश्वविद्यालय को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता बनाये रखेगा। विनियमाक आयोग कुलाध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण में कार्य करेगा तदनुसार आयोग निरन्तर कार्यरत् है। आयोग में निम्नानुसार पदाधिकारी एवं अधिकारी है :—

- (1) डॉ० ओम प्रकाश वर्मा — अध्यक्ष
- (2) डॉ० मुक्ति मिश्र — सदस्य (अकादमिक)
- (3) प्रो० बी०आ० चन्द्राकर — सचिव

2. आयोग कार्यालय में उक्त पदाधिकारियों का कार्यकाल निम्नानुसार है :-

- (1) डॉ० मुक्ति मिश्रा, सदस्य (अकादमिक) ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग में कार्यकारी अध्यक्ष पद का प्रभार दिनांक 01/07/2013 को ग्रहण किया।
- (2) डॉ० ओम प्रकाश वर्मा ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष पद का कार्य भार दिनांक 25/09/2013 को ग्रहण किया।

3. विनियामक आयोग की बैठकें :-

वर्ष 2014–2015 में विनियामक आयोग की 09 बैठकें निम्नांकित

तिथियों में आयोजित की गई :-

1. 21/05/2014
2. 30/05/2014
3. 08/08/2014
4. 26/08/2014
5. 15/09/2014
6. 18/11/2014
7. 14/01/2015
8. 10/02/2015
9. 30/03/2015

लिख-प्राकार संख्या ०५ (१)

प्रस्तुति संख्या ०५ (२)

ट्रान्सलॉग संख्या ०५ (३)

4. कार्यवाही विवरण :—

4.1 प्रस्तावित श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, की स्थापना एवं निगमन के संबंध में —

प्रस्तावित श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, ग्राम-धनेली, तहसील-रायपुर जिला-रायपुर की स्थापना एवं निगमन के संबंध में आयोग की बैठक दिनांक 21 मई, 2014 को हुई जिसमें श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, के संबंध में अधीक्षक, भू-अभिलेख, रायपुर द्वारा प्रस्तुत भूमि संबंधी जांच प्रतिवेदन एवं उनके द्वारा एकत्रित जानकारी के साथ-साथ छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 में दिए गए स्थापना एवं निगमन संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए समग्र रूप से विचार किया गया। विस्तृत समीक्षा एवं चर्चा के उपरान्त इस प्रस्तावित विश्वविद्यालय के संबंध में मुख्य रूप से जो तथ्य सामने आए हैं वे निम्नानुसार हैं :—

1. प्रस्तावित विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर 10.110 हेक्टेयर (25.00 एकड़) ग्राम-धनेली, तहसील-रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) में है। उक्त भूमि विश्वविद्यालय के स्वामित्व में है। इस भूमि का व्यवपर्तन शैक्षणिक प्रयोजनार्थ हो चुका है।
2. विन्यास निधि की राशि के रूप में रूपये 03 करोड़ आयोग के पास जमा है।
3. मुख्य परिसर में प्रशासनिक भवन एवं अकादमिक भवन का निर्माण कार्य किया गया है जिसमें 1,69,560 वर्ग फुट का निर्माण कार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त 25,000 वर्ग फुट का भवन निर्माणाधीन है। प्रशासनिक भवन में स्वागत कक्ष के साथ कॉफेस-हॉल, कुलाधिंपति, कुलपति, एवं कुलसचिव के कक्ष हैं, एवं 06 प्रशासनिक कक्ष पूर्णतः विद्युत व्यवस्था से सुसज्जित हैं।

अकादमिक भवनों में 20 अध्यापन कक्ष, 02 हॉल, 02 कम्प्यूटर लैब, 27 अन्य लैब, 02 लैंग्वेज लैब एवं 01 ग्रंथालय स्थित हैं। सभी भवन पूर्णतः विद्युत व्यवस्था से सुसज्जित है तथा छात्र-छात्राओं के लिए पृथक-पृथक टॉयलेट बने हुए हैं। प्रतिवेदन में कुलाधिपति, कुलपति एवं कुलसचिव के निवास के साथ अकादमिक भवन, वर्कशाप, ऑडिटोरियम एवं खेल का मैदान आदि की जानकारी दी गई है। छात्राओं के लिए पृथक से छात्रावास बनाया गया है। प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय रायपुर के नई राजधानी परिक्षेत्र से लगभग 15 कि.मी. रायपुर-धमतरी पहुंच मार्ग से जुड़ा है।

4. आवश्यक परिवर्चन (Undertaking) भी शपथ पत्र में दी जा चुकी है।

इस प्रकार प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 में दी गई सभी शर्तों को पूरा करता है। अतः आयोग सर्व-सम्मति से प्रस्तावित श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन की अनुशंसा करता है।

4.2 प्रायोजक निकायों को आशय पत्र जारी करने के संबंध में –

प्रायोजक निकाय – लार्ड बुद्धा एजुकेशनल सोसायटी, ए-55 सेक्टर-61, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर (प्रस्तावित लार्ड बुद्धा यूनिवर्सिटी), के परियोजना प्रतिवेदन का आयोग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति ने दिनांक 22.05.2014 को मूल्यांकन किया। मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन निम्नानुसार है :–

“परियोजना प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 की धारा 4(2) 5(2) के अंतर्गत चाही गई जानकारी प्रायोजक निकाय द्वारा प्रदान की गई है। अतः प्रायोजक निकाय को लार्ड बुद्धा यूनिवर्सिटी, रायपुर की स्थापना हेतु आशय पत्र (LOI) जारी करने की अनुशंसा की जाती है।”

मूल्यांकन समिति के उपरोक्त प्रतिवेदन पर दिनांक 30 मई, 2014 को आयोग की बैठक में विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रायोजक निकाय लार्ड बुद्धा एजुकेशनल सोसायटी, ए-55 सेक्टर-61, नोएडा, नाम बुद्ध नगर द्वारा प्रस्तावित – लार्ड बुद्धा यूनिवर्सिटी, रायपुर की स्थापना के लिये आशय पत्र (LOI) जारी करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर को अनुशंसा पत्र लिखा जाये।

- 4.3 प्रायोजक निकाय – जे.आई.एस. नॉलेज पार्क लिमिटेड, द्वारका बिल्डिंग, 7 सरत बोस रोड, पश्चिम बंगाल (प्रस्तावित जे.आई.एस., नया रायपुर यूनिवर्सिटी) के परियोजना प्रतिवेदन का आयोग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति ने दिनांक 05.08.2014 को मूल्यांकन किया। मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

“परियोजना प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 की धारा 4(2) एवं 5(2) के अंतर्गत चाही गई जानकारी प्रायोजक निकाय द्वारा प्रदान की गई है। अतः प्रायोजक निकाय को जे.आई.एस., नया रायपुर यूनिवर्सिटी, रायपुर की स्थापना हेतु आशय पत्र (LOI) जारी करने की अनुशंसा की जाती है”

मूल्यांकन समिति के उपरोक्त प्रतिवेदन पर आयोग की बैठक दिनांक 26 अगस्त, 2014 को विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रायोजक निकाय जे.आई.एस. नॉलेज पार्क लिमिटेड, द्वारका बिल्डिंग, 7 सरत बोस रोड, पश्चिम बंगाल द्वारा प्रस्तावित जे.आई.एस., नया रायपुर यूनिवर्सिटी रायपुर की स्थापना के लिये आशय पत्र (LOI) जारी करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर को अनुशंसा पत्र लिखा जाये।

- 4.4 प्रायोजक निकाय – अंगूरी देवी मामन चंद ग्लोबल एजुकेशनल एण्ड वेलफेर सोसायटी, बी-3, गुलमोहर वाटिका, न्यू पुरैना, रिंग रोड, रायपुर (छ.ग.) द्वारा (प्रस्तावित छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय) के परियोजना प्रतिवेदन का आयोग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति ने दिनांक 05.08.2014 को मूल्यांकन किया। मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन निम्नानुसार है :–

“परियोजना प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 की धारा 4(2) एवं 5(2) के अंतर्गत चाही गई जानकारी प्रायोजक निकाय द्वारा प्रदान की गई है। अतः प्रायोजक निकाय को छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना हेतु आशय पत्र (LOI) जारी करने की अनुशंसा की जाती है।”

मूल्यांकन समिति के उपरोक्त प्रतिवेदन पर आयोग की बैठक दिनांक 26 अगस्त, 2014 को विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रायोजक निकाय अंगूरी देवी मामन चंद ग्लोबल एजुकेशनल एण्ड वेलफेर सोसायटी, बी-3, गुलमोहर वाटिका, न्यू पुरैना, रिंग रोड, रायपुर (छ.ग.) द्वारा प्रस्तावित छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना के लिये आशय पत्र (LOI) जारी करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर को अनुशंसा पत्र लिखा जाये।

- 4.5 प्रायोजक निकाय सेंट जेवियर एकेशनल एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट, 12 जनपथ सत्या नगर, भुवनेश्वर, उड़ीसा (प्रस्तावित सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी) के परियोजना प्रतिवेदन का आयोग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति ने दिनांक 05/08/2014 को मूल्यांकन किया तथा विचारोपरान्त प्रकरण को मूल्यांकन समिति ने अमान्य कर दिया।

मूल्यांकन समिति के उक्त प्रतिवेदन को आयोग की बैठक दिनांक 05/08/2014 में रखा गया। बैठक में विचारोपरान्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से परियोजना प्रतिवेदन को अमान्य कर दिया गया।

4.6 प्रायोजक निकाय – मोदी इनोवेटिव एजुकेशन सोसायटी, फरिस्ता काम्पलेक्स, जी.ई. रोड, रायपुर (छ0ग0) (प्रस्तावित के0के0 मोदी यूनिवर्सिटी) के परियोजना प्रतिवेदन का आयोग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति ने दिनांक 05.11.2014 को मूल्यांकन किया। मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन निम्नानुसार है :–

“परियोजना प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 की धारा 4(2) एवं 5(2) के अंतर्गत चाही गई जानकारी प्रायोजक निकाय द्वारा प्रदान की गई है। अतः प्रायोजक निकाय को के0के0 मोदी यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु आशय पत्र (LOI) जारी करने की अनुशंसा की जाती है।”

मूल्यांकन समिति के उपरोक्त प्रतिवेदन पर आयोग की बैठक दिनांक 18 नवम्बर, 2014 में विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रायोजक निकाय मोदी इनोवेटिव एजुकेशन सोसायटी फरिस्ता काम्पलेक्स जी.ई. रोड, रायपुर (छ0ग0) द्वारा प्रस्तावित के0के0 मोदी यूनिवर्सिटी, रायपुर की स्थापना के लिये आशय पत्र (LOI) जारी करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर को अनुशंसा पत्र लिखा जाये।

4.7 प्रायोजक निकाय – सोसायटी फॉर मीडिया आर्ट्स 13, एकात्म परिसर, प्रथम तल रजबंधा मैदान, रायपुर (छ0ग0) (प्रस्तावित एएफटी यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एन्ड आर्ट्स) के परियोजना प्रतिवेदन का आयोग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति ने दिनांक 29/01/2015 को मूल्यांकन किया। मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन निम्नानुसार है :–

"परियोजना प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 की धारा 4(2) एवं 5(2) के अंतर्गत चाही गई जानकारी प्रायोजक निकाय द्वारा प्रदान की गई है। अतः प्रायोजक निकाय को प्रस्तावित एएफटी यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एन्ड आर्ट्स की स्थापना हेतु आशय पत्र (LOI) जारी करने की अनुशंसा की जाती है।"

मूल्यांकन समिति के उपरोक्त प्रतिवेदन पर आयोग की बैठक दिनांक 10 फरवरी, 2015 में विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रायोजक निकाय सोसायटी फॉर मीडिया आर्ट्स 13, एकात्म परिसर, प्रथम तल रजबंधा मैदान, रायपुर (छ0ग0) द्वारा प्रस्तावित एएफटी यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एन्ड आर्ट्स (छ.ग.) की स्थापना के लिये आशय पत्र (LOI) जारी करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर को अनुशंसा पत्र लिखा जाये।

5. अध्यादेशों का अनुमोदन –

5.1 डॉ सी0ही0 रमन, विश्वविद्यालय द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत अध्यादेश क्रमांक 119 को आयोग की बैठक दिनांक 08 अगस्त, 2014 में रखा गया। विचारोपरान्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अध्यादेश क्रमांक 119 को अनुमोदित किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि राजपत्र में प्रकाशित कराने हेतु राज्य शासन को भेजा जाये।

- 5.2** मैट्स विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत अध्यादेश क्रमांक 107 को आयोग की बैठक दिनांक 08 अगस्त, 2014 में रखा गया। विचारोपरान्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अध्यादेश क्रमांक 107 को अनुमोदित किया गया तथा यह निर्णय लिया कि राजपत्र में प्रकाशित कराने हेतु राज्य शासन को भेजा जाये।
- 5.3** कंलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत अध्यादेश क्रमांक 57 को आयोग की बैठक दिनांक 08 अगस्त, 2014 में रखा गया। विचारोपरान्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अध्यादेश क्रमांक 57 को अनुमोदित किया गया तथा यह निर्णय लिया कि राजपत्र में प्रकाशित कराने हेतु राज्य शासन को भेजा जाये।
- 5.4** आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, दुर्ग द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत अध्यादेश क्रमांक 27 को आयोग की बैठक दिनांक 08 अगस्त, 2014 में रखा गया। विचारोपरान्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अध्यादेश क्रमांक 27 को अनुमोदित किया गया तथा यह निर्णय लिया कि राजपत्र में प्रकाशित कराने हेतु राज्य शासन को भेजा जाये।
- 5.5** आई0टी0एम0 विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत अध्यादेश क्रमांक 57 को आयोग की बैठक दिनांक 08 अगस्त, 2014 में रखा गया। विचारोपरान्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अध्यादेश क्रमांक 57 को अनुमोदित किया गया तथा यह निर्णय लिया कि राजपत्र में प्रकाशित कराने हेतु राज्य शासन को भेजा जाये।

- 5.6 डॉ० सी०व्ही० रमन, बिलासपुर द्वारा प्रस्तुत संशोधित अध्यादेश क्रमांक 15, 29, 30, 32 एवं अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 112 से 118 को आयोग की बैठक दिनांक 26 अगस्त, 2014 में रखा गया। बैठक में सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को अनुमोदित किया तथा यह निर्णय लिया कि राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए भेजा जाये।
- 5.7 मैट्स विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा प्रस्तुत संशोधित अध्यादेश क्रमांक 15, एवं अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 108 तथा 109 को आयोग की बैठक दिनांक 26 अगस्त, 2014 में रखा गया। बैठक में सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को अनुमोदित किया तथा यह निर्णय लिया कि राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए भेजा जाये।
6. दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत अध्ययन केन्द्रों/परामर्श केन्द्र –

डॉ० सी०व्ही० रमन विश्वविद्यालय, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर से दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में 50 नये परामर्श केन्द्र/अध्ययन केन्द्र संचालित करने की अनुमति के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव पर अवलोकन/परीक्षण आयोग कार्यालय की दो सदस्यीय समिति द्वारा किया गया। परीक्षण उपरान्त यह पाया गया कि विश्वविद्यालय को स्थापित हुए लगभग 08 वर्ष हो चुके हैं। विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य है तथा विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर, जो करगी रोड, कोटा बिलासपुर में है, का विकास भी हो चुका है। विद्यार्थियों के लिये मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं।

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 ने दिये गये प्रावधानों के अनुसार “अध्ययन केन्द्र” से अभिप्रेत है – ‘दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में विद्यार्थियों को परामर्श, मंत्रणा या अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से निजी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, संधारित या मान्यता प्राप्त केन्द्र जो कोई दो या दो से अधिक संचार माध्यमों जैसे रेडियो प्रसारण, दूरदर्शन, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमीनार, सम्पर्क कार्यक्रम और इसी प्रकार की कोई अन्य पद्धति से शिक्षा प्रदान करता है।’

उपरोक्त प्रावधानानुसार आयोग की बैठक दिनांक 10 फरवरी, 2015 को विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि 50 में से 23 नये अध्ययन केन्द्रों को संचालित करने की अस्थायी (Provisional) अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि समस्त 23 नये केन्द्रों के संचालकों के नाम-पते तथा संचालित किये जाने वाले केन्द्रों के पते, दूरभाष नं. के साथ विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की जानकारी समय-समय पर आयोग कार्यालय को उपलब्ध करायेगा तथा यू.जी.सी. विनियम-2003, डी.ई.बी. एवं अन्य नियामक इकाईयों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7. वाहन क्रय करने के संबंध में –

आयोग के लिए एक वाहन क्रय करने की अनुमति के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, रायपुर से प्राप्त आदेश क्र.0 एफ 5-11/2014/38-2 दिनांक 30.08.2014 के माध्यम से राज्य शासन ने आयोग कार्यालय को रूपये 6.00 लाख की सीमा में एक वाहन क्रय करने की स्वीकृति दी है।

राज्य शासन से आदेश प्राप्त होने के उपरान्त चार गांडियों के कोटेशन मंगवाये गये। इन कोटेशनों पर विचार-विमर्श किया गया, तथा आयोग की बैठक दिनांक 18 नवम्बर, 2014 में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि रु. 6.00 लाख (रु० ६० लाख) की सीमा में इंडिगो ई.सी.एस. (सफेद) कार क्य कर ली जाय।

8. आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में –

- 8.1 आयोग की बैठक दिनांक 14 जनवरी, 2015 को प्रो० बी०आ०८० चन्द्राकर, सचिव, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की संविदा नियुक्ति के अंतर्गत सेवा में एक वर्ष के लिए वृद्धि करने का निर्णय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।
- 8.2 आयोग की बैठक दिनांक 14 जनवरी, 2015 को श्री टी०टी० थॉमस, शीघ्रलेखक-१, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की संविदा नियुक्ति के अंतर्गत सेवा में एक वर्ष के लिए वृद्धि करने का निर्णय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।

9. विन्यास निधि पर देय ब्याज राशि के संबंध में –

श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट, रायपुर से विन्यास निधि की राशि को विमुक्त करने के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्र क्रमशः दिनांक 16/03/2015 एवं 20/03/2015 के अनुसार प्रस्तावित श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के स्थापना संबंधी प्रस्ताव को राज्य शासन द्वारा अमान्य कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम -2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रायोजक निकाय द्वारा आयोग कार्यालय में जमा विन्यास निधि की राशि रु० तीन करोड़ को विमुक्त करने हेतु लिखा गया है, साथ ही पूर्ववर्ती श्री रावतपुरा विश्वविद्यालय के कुछ प्रकरण न्यायालय में लम्बित होने के कारण पूर्व से विन्यास निधि की राशि रूपये 10 लाख आयोग के पास जमा है,

उसे भी उनके द्वारा विमुक्त करने हेतु लिखा गया है। उक्त आवेदन पत्र में शपथ पत्र के साथ यह उल्लेख किया गया है कि पूर्ववर्ती श्री रावतपुरा विश्वविद्यालय की कोई देनदारी शेष नहीं है। न्यायालय में जो प्रकरण लिया दे उनका निराकरण हो चुका है। इस प्रकार उन्होंने जमा विन्यास निधि की राशि रु० ३० तीन करोड़ दस लाख को विमुक्त करने हेतु लिखा गया है।

उपरोक्त दोनों आवेदन पत्रों पर आयोग बैठक दिनांक 30 मार्च, 2015 में विचार-विमर्श किया तथा सदस्यों द्वारा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया कि प्रयोजक निकाय रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट, के द्वारा आयोग कार्यालय में जमा विन्यास निधि की राशि रु० ३० तीन करोड़ दस लाख को विमुक्त कर दिया जाये।

10 राज्य की संचित निधि में जमा शुल्क राशि का विवरण –

- 10.1 डॉ० सी०व्ही० रमन विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2014–2015 में विद्यार्थियों से ली गई शुल्क राशि का एक प्रतिशत एवं शास्तिक ब्याज राशि कुल रु० 18,68,044 = ०० आयोग को प्राप्त हुए जिसे आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में जमा किया गया।
- 10.2 आई०सी०एफ०ए०आई० विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2014–2015 में विद्यार्थियों से ली गई शुल्क राशि का एक प्रतिशत राशि कुल रु० 68,489 = ७५ आयोग को प्राप्त हुए, जिसे आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में जमा किया गया।
- 10.3 कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2014–2015 में विद्यार्थियों से ली गई शुल्क राशि का एक प्रतिशत राशि कुल रु० 3,64,079 = ०० आयोग को प्राप्त हुए, जिसे आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में जमा किया गया।

11. न्यायालयीन प्रकरण –

पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालय के विरुद्ध न्यायालय में याचिका दायर की गई है, जिसमें विनियामक आयोग को एक पक्षकार बनाया गया है। विनियामक आयोग द्वारा प्रकरण में अधिवक्ता से सम्पर्क कर आयोग का पक्ष रखते हुए आवश्यक कार्यवाही की गई। वर्ष 2014–15 में न्यायालयीन प्रकरण का विवरण निम्नानुसार है –

न्यायालयीन प्रकरण की स्थिति

रिट पिटिशन/ कम्प्लेन्ट नं.	माननीय उच्च न्यायालय/ उपभोक्ता फोरम का नाम	वादी/ प्रतिवादी	रिमार्क
रिट पिटिशन (सी) नं. 8979 / 2012 (एस)	माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश बैन्च, ग्वालियर	बनवारी लाल त्यागी विरुद्ध पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय एवं अन्य	प्रकरण लम्बित है।

12. पूर्ववर्ती/ प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित शिकायतों पर कार्यवाही –

पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालयों के संबंध में विभिन्न प्रकार की शिकायतें आयोग को प्राप्त हुई। प्राप्त शिकायतों के संबंध में संबंधित प्रायोजक निकायों को पत्र द्वारा शिकायतों का निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही विचाराधीन अवधि में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए समय पर आयोग कार्यालय द्वारा आवेदकों को जानकारी उपलब्ध करायी गई है।

13. निजी विश्वविद्यालयों के निरीक्षण के संबंध में -


छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 के अंतर्गत स्थापित 05 निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण आयोग कार्यालय द्वारा किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन को माननीय राज्यपाल एवं कुलाध्यक्ष, राजभवन को प्रेषित किया गया है। साथ ही निरीक्षण में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों को आयोग कार्यालय द्वारा निर्देशित किया गया है।

14. छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालय-

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 के अंतर्गत वर्ष 2006 से विचाराधीन अवधि तक छत्तीसगढ़ राज्य में पांच निजी विश्वविद्यालय यथा (1) डॉ० सी०व्ही० रमन विश्वविद्यालय करगी रोड, कोटा, बिलासपुर (2) मैट्स विश्वविद्यालय, ग्राम—गुल्लू तहसील—आरंग, जिला—रायपुर (3) कलिंगा विश्वविद्यालय, गाम—कोटनी—पलौद, तहसील—आरंग, जिला—रायपुर (4) आई०सी०एफ०ए०आई० विश्वविद्यालय, ग्राम—चोरहा, तहसील—धमधा, जिला—दुर्ग, (5) आई०टी०एम० विश्वविद्यालय, ग्राम—उपरवारा, तहसील—अभनपुर, जिला—रायपुर (6) एमिटि यूनिवर्सिटी, ग्राम—मांठ, तहसील—तिल्दा, जिला—रायपुर (7) ओ.पी. जिन्दल, यूनिवर्सिटी, ओ.पी. जिन्दल नालेज पार्क, ग्राम—पुंजीपथरा, तहसील—घरघोड़ा, जिला—रायगढ़ में स्थापित तथा संचालित है।

15. लेखाओं पर प्रतिवेदन के संबंध में -

विचाराधीन अवधि के लेखाओं की सम्परीक्षा मेसर्स बत्रा डीपक एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, रायपुर द्वारा की गई है, जो प्रतिवेदन के साथ संलग्नक -1 पर है।


(डॉ० ओम प्रकाश वर्मा)
अध्यक्ष


(प्रो० बी०आर० चन्द्राकर)
सचिव

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग
शांति नगर, रायपुर — 492 007

Office No.26, 2nd Floor, Sardar Plaza Complex
Gangadhar Ratan, Bhawanipatna, Vishwanath Singh Road, RAIPUR (Chhattisgarh) 492001
Phone: 0771-2251181, 2251182, Fax: 0771-2251183

STATUTORY AUDIT REPORT

STATUTORY AUDITORS REPORT

OF

CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG

FOR THE YEAR ENDED

ON 31ST MARCH 2015

**BATRA DEEPAK & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS**

Batra Deepak & Associates

Chartered Accountants

Office No.28, 2nd Floor, Ashoka Plaza Complex

(Near Ashoka Ratan, Khamardih), Vidhan Sabha Road, RAIPUR (Chhattisgarh) 492001

Phone: 0771-2281180, 81, 82; Fax: 0771-2281183

E-mail: deepakbda@gmail.com

STATUTORY AUDITORS' REPORT

To,
**Chhattisgarh Niji Vishwavidyalaya Vinayamak Ayog (Ayog),
29/776, Plot No. 5, Block No. 3,
Opp. Ram Mandir, Shanti Nagar
Madhu Pillai Chowk, Raipur (Chhattisgarh)**

We have audited the attached Balance Sheet of **CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG (AYOG)** as at 31st March 2015 and the attached Income & Expenditure Account of the Ayog for the year ended on that date. Our report is as under:

- (a) These financial statements are the responsibility of the Entity's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements, based on our audit.
- (b) We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- (c) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.



- (d) In our opinion, proper books of account have been prepared, so far as it appears from our examination of such books.
- (e) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account referred to in this report are in agreement with the books of accounts.
- (f) Our audit observations are as under,

We observed that fees collected by Ayog has not been deposited within stipulated 15 days with the Government in its Treasury Account .Details are as under:-

S. NO	NAME OF UNIVERSITY	FEES AMOUNT	DATE OF RECEIPT	DEU DATE OF DEPOSIT	DATE OF DEPOSIT	DELAY IN DAYS
1	ICFAI UNIVERSITY	899.50	07/07/14	22/07/14	20/08/14	28
2	ICFAI UNIVERSITY	14,501.00	11/08/14	26/08/14	27/08/14	1
3	ICFAI UNIVERSITY	3,535.25	24/11/14	08/12/14	09/12/14	1
4	ICFAI UNIVERSITY	1,306.00	05/03/15	20/3/15	06/04/15	1
5	ICFAI UNIVERSITY	8,379.00	08/09/14	23/09/14	Not paid till the date of this report	
6	ICFAI UNIVERSITY	728.50	07/02/15	22/02/15	Not paid till the date of this report*	
7	ICFAI UNIVERSITY	19,612.00	07/02/15	22/02/15	Not paid till the date of this report	

(g)

- During the year under review AYOG has carried out reconciliation in respect of its various Fixed Deposit Receipts with banks and of its Flexi Account with State Bank of India. A detailed list of Fixed Deposit Receipts (FDR) as on 31/03/2015 prepared by the auditee reflects total FDR of Rs. 393,595,802.00.
- The auditee has accounted Rs. 12,000,309/- as interest income on the reconciliation income. This remains unsupported with any certification from concerned Bank. Hence, we cannot comment on the accuracy of the same.
- In respect of its SBI Flexi Account the auditee has recognized net interest income of Rs. 390,076/- (Income of Rs. 396,455.00. and expense of Rs. 6,379.00). The Bank statement in support of these transactions have been made available however as the narration from the same is not clear, we cannot comment on the accuracy of the transactions recorded by the auditee in this account.

- (h) We draw attention towards Para III Note B of Schedule G regarding non provision of Income Tax.
- (i) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said Balance Sheet and the Income and Expenditure account read

together with the notes thereon, but subject to para (f)(ii) & (iii) above give the information required, in the manner so required and give a true and fair view.

- (i) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Firm as at the March, 2015, and
- (ii) In the case of Income and Expenditure Account, Surplus for the year ended on that date.

For, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REG. NO. 00540SC



[K V RAJGOPAL]
PARTNER
M.NO. 415445

PLACE: RAIPUR

DATE: 28 AUG 2015

CHHATTISGARH NIJI VISHVAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG

BALANCE SHEET AS AT 31 ST MARCH 2015

PARTICULARS	SCHEDULE	AMOUNT(Rs.) 31.03.2015	AMOUNT(Rs.) 31.03.2014
SOURCES OF FUNDS:			
CAPITAL FUND:			
SURPLUS	"A"	137,250,147	107,233,701
T-O-T-A-L :-		137,250,147	107,233,701
APPLICATION OF FUNDS:			
FIXED ASSETS:	"B"		
OPENING W.D.V.		543,386	525,461
ADD: ADDITION		623,162	104,682
LESS: DEPRECIATION		153,238	86,757
CLOSING W.D.V.		1,013,310	543,386
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES:			
CASH & BANK BALANCES	"C"	4,536,591	23,764,023
INVESTMENTS IN FDR(s)	"D"	393,595,802	334,791,823
DEPOSITS & ADVANCES	"E"	134,469	134,469
		398,266,862	358,690,315
LESS: CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS:	"F"		
NET CURRENT ASSETS		262,030,024	252,000,000
T-O-T-A-L :-		136,236,837	106,690,315
NOTES TO ACCOUNTS FORM INTEGRAL PART OF BALANCE SHEET AND INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT	"G"	137,250,147	107,233,701

FOR, CHHATTISGARH NIJI VISHVAVIDYALAYA
VINAYAMAK AYOG

For CHHATTISGARH NIJI
VISHVAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG

(Dr) [Signature] **CHAIRMAN**

Chairman

[Signature] **MEMBER ADMIN.**

Secretary

FOR,
BATRA DEEPAK & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REG. NO. 005408C



[K V RAIGOPAL]

PARTNER

M.NO. 415445

DATE: 28 AUG 2015

PLACE: RAIPUR

DATE:

PLACE: RAIPUR

CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2015

PARTICULARS	SCHEDULE	
I-N-C-O-M-E : SALE OF FORMS & MISCELLANEOUS INCOME INTEREST FROM FDRs OTHER INTEREST FROM BANKS MISC INCOME UTILIZATION OF GOVERNMENT GRANT TDS Refund		
	TOTAL (A)	43,758,294
E-X-P-E-N-D-I-T-U-R-E : PETTY CASH EXPENSES (TILL MONEY) STAFF SALARY AUDIT FEES TELEPHONE EXPENSES RENT EXPENSES ELECTRICITY CHARGES TRAVELLING AND CONVEYANCE EXPENSES DEPRECIATION OFFICE EXPENSES INTEREST ON ENDOWMENT & ADDITIONAL FUND BANK CHARGES PRINTING & STATIONERY EXPENSES SITTING FEES PROFESSIONAL EXPENSES Interest on Late Deposit of TDS MEDICAL REIMBURSEMENT REPAIRS & MAINTENANCE EXPENSES		119,500 3,488,841 22,472 66,365 333,960 74,390 447,630 153,238 4,675 8,665,000 1,403 - 10,500 180,337 660 138,959 13,815
	TOTAL (B)	13,721,745
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE (A - B)		16,841,759
NET SURPLUS CARRIED TO BALANCE SHEET		30,016,446
NOTES TO ACCOUNTS FORM INTEGRAL PART OF BALANCE SHEET AND INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT	"G"	51,797,175
		30,016,446
		51,797,175

FOR, CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA
VINAYAMAK AYOG

For CHHATTISGARH NIJI
VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG

[CHAIRMAN] [MEMBER ADMIN.]
(Dr. Om Prakash Verma) (Prof. B.R. Chandrakar)
Chairman Secretary

DATE: 28 AUG 2015
PLACE: RAIPUR

FOR BATRA DEEPAK & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REG. NO. 005408C



[K V RAJGOPAL]
PARTNER
M.NO. 415445

DATE:
PLACE: RAIPUR

CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2015

PARTICULARS	AS AT 31.03.2015	AS AT 31.03.2014
SCHEDULE - "A"		
RESERVES & SURPLUS:		
Opening Balance	107,233,701	55,436,527
Add : Surplus/(Deficit)	30,016,446	51,797,175
T-O-T-A-L :-	137,250,147	107,233,701
SCHEDULE - "C"		
CASH AND BANK BALANCE:		
Bank Balances :		
a) Balance with State Bank Of India	672,792	117,196
b) Balance with Union Bank Of India	53,633	10,308
c) Balance With Central Bank Of India	1,411,089	22,950,458
e) Auto Sweep Account with Union Bank of India	2,031,000	377,000
f) Flexi account with State Bank Of India	368,077	299,062
Cash-in-hand		
Petty Cash (Till Money)		10,000
T-O-T-A-L :-	4,536,591	23,764,023
SCHEDULE - "D"		
INVESTMENTS IN FDR(s):		
a) Fixed Deposits with Central Bank of India	393,595,802	334,791,823
T-O-T-A-L :-	393,595,802	334,791,823
SCHEDULE - "E"		
DEPOSITS & ADVANCES		
a) T. D. S. RECEIVABLE (A.Y 2007-08)	85,617	85,617
b) Deposit for rent	45,000	45,000
c) Deposit for telephone	3,852	3,852
T-O-T-A-L :-	134,469	134,469
SCHEDULE - "F"		
CURRENT LIABILITIES & PROVISION		
a) Endowment Fund	252,030,024	242,000,000
b) Additional Fund	10,000,000	10,000,000
T-O-T-A-L :-	262,030,024	252,000,000



CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG
DETAILS OF ENDOWMENT FUNDS

NAME OF THE UNIVERSITY	AS ON 31.03.2015	AS ON 31.03.2014
AMITY UNIVERSITY	30,000,000.00	30,000,000.00
IIM UNIVERSITY	30,000,000.00	30,000,000.00
JINDAL UNIVERSITY	10,000,000.00	10,000,000.00
BANKRACHARYA UNIVERSITY	30,000,000.00	30,000,000.00
C V RAMAN UNIVERSITY	10,000,000.00	10,000,000.00
GURUKUL UNIVERSITY	1,000,000.00	1,000,000.00
ICFAI UNIVERSITY	30,000,000.00	30,000,000.00
KALINGA UNIVERSITY	30,000,000.00	30,000,000.00
MATS UNIVERSITY	30,000,000.00	30,000,000.00
MODI INTERNATIONAL UNIVERSITY	10,000,000.00	10,000,000.00
RAWATPURA SARKAAR UNIVERSITY	31,000,000.00	31,000,000.00
INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION & MANAGEMENT (Fees (to Be Deposited in Treasury Office, Raipur))	10,000,000.00	10,000,000.00
TOTAL	30,024.25	252,030,024.25

CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG
DETAILS OF ADDITIONAL FUNDS

NAME OF THE UNIVERSITY	AS ON 31.03.2015	AS ON 31.03.2014
MODI INTERNATIONAL UNIVERSITY	10,000,000.00	10,000,000.00
TOTAL	10,000,000.00	10000000.00



CHHATTISGARH NRI VISHWAVIDYALAYA VINAYAKAYOG

SCHEDULE "B" DETAILS OF FIXED ASSETS

PARTICULARS	RATE	W.D.V. AS ON 01-04-14	ADDITIONS		TOTAL	TOTAL DEPRECIATION	W.D.V. AS ON 31.03.2015
			MORE THAN 180 DAYS	LESS THAN 180 DAYS			
FURNITURE & FIXTURES	10%	324,791.00	-	-	324,791.00	32,479.00	292,312.00
OFFICE EQUIPMENTS	15%	125,270.00	18,893.00	-	144,163.00	21,624.00	122,539.00
COMPUTERS	60%	34,383.00	43,400.00	6,930.00	84,713.00	48,749.00	35,964.00
AIR CONDITIONER	15%	58,942.00	-	-	58,942.00	8,841.00	50,101.00
CAR	15%	-	-	553,939.00	553,939.00	41,545.00	512,394.00
TOTAL		543,386.00	62,293.00	560,869.00	1,166,548.00	153,238.00	1,013,310.00



Schedule "D"

CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG
DETAILS OF FIXED DEPOSIT RECEIPTS

PARTICULARS	AMOUNT 2014-15	AMOUNT 2013-14
FDR WITH CENTRAL BANK OF INDIA		
Fdr with CBI 3248812307	9,500,000.00	-
Fdr with CBI 3251113416	9,500,000.00	-
Fdr With CBI 3248813071	9,500,000.00	-
Fdr with CBI 3248813887	9,500,000.00	-
Fdr with CBI 3248814359	9,500,000.00	-
Fdr with CBI 3248814790	8,326,649.00	-
Fdr with CBI 3248815954	9,500,000.00	-
Fdr with CBI 3248816390	9,500,000.00	-
Fdr with CBI 3248816902	9,500,000.00	-
Fdr with CBI 3248817258	9,500,000.00	-
Fdr with CBI 3248817633	9,500,000.00	-
Fdr with CBI 3248818047	9,500,000.00	-
Fdr with CBI 3248818490	9,500,000.00	-
Fdr with CBI 3248819006	9,500,000.00	-
Fdr with CBI 3248819506	9,500,000.00	-
Fdr with CBI 3248820395	9,500,000.00	-
Fdr with CBI 3248820816	9,500,000.00	-
Fdr with CBI 3248821219	9,500,000.00	-
Fdr with CBI 3248823329	9,500,000.00	-
Fdr with CBI 3248823748	9,500,000.00	-
Fdr with CBI 3248824141	9,500,000.00	-
Fdr with CBI 3248824673	9,500,000.00	-
Fdr with CBI 3248825009	9,500,000.00	-
Fdr with CBI 3251113154	9,500,000.00	-
Fdr with CBI 3251113267	9,500,000.00	-
Fdr with CBI 3251113530	9,500,000.00	-
Fdr with CBI 3251113711	9,500,000.00	-
Fdr with CBI 3251113880	9,500,000.00	-
Fdr with CBI 3251113982	9,500,000.00	-
Fdr with CBI 3251114125	9,500,000.00	-
Fdr with CBI 3251114272	9,500,000.00	-
Fdr with CBI 3251114374	9,500,000.00	-
Fdr with CBI 3251114501	9,500,000.00	-
Fdr with CBI 3298581481	9,000,000.00	-
Fdr with CBI 3298581583	9,000,000.00	-
Fdr with CBI 3298581640	9,000,000.00	-
Fdr with CBI 3298581695	2,500,000.00	-
Fdr with CBI 3298581957	2,500,000.00	-
Fdr with CBI 3298582087	2,500,000.00	-
Fdr with CBI 3298582134	2,500,000.00	-
Fdr with CBI 3298582247	4,396,816.00	-
Fdr with CBI 3335674377	8,000,000.00	-
Fdr with CBI 3335676873	8,000,000.00	-
Fdr with CBI 3396516205	6,952,770.00	-
Fdr with CBI 3396797104	2,501,295.00	-
Fdr with CBI 3400251426	9,500,000.00	-
Fdr with CBI 3400252317	4,918,372.00	-



FDR NO. 29615			11,734,571.00
FDR NO. 29616			4,274,579.00
FDR NO. 29621			11,709,891.00
FDR NO. 29622			11,712,135.00
FDR NO. 29623			11,714,379.00
FDR NO. 29624			11,716,622.00
FDR NO. 29625			11,718,866.00
FDR NO. 29626			11,721,109.00
FDR NO. 29627	00,000,000.0	-	11,723,353.00
FDR NO. 29628	00,000,000.0	-	11,725,596.00
FDR NO. 29629	00,000,000.0	-	11,727,840.00
FDR NO. 29630	00,000,000.0	-	11,730,084.00
FDR NO. 29631	00,000,000.0	-	11,732,327.00
FDR NO. 37488	00,000,000.0	-	10,364,582.00
FDR NO. 37658	00,000,000.0	-	10,364,582.00
FDR NO. 37727	00,000,000.0	-	10,364,582.00
FDR NO. 37896	00,000,000.0	-	10,364,582.00
FDR NO. 37998	00,000,000.0	-	10,364,582.00
FDR NO. 38073	00,000,000.0	-	10,364,582.00
FDR NO. 38142	00,000,000.0	-	10,364,582.00
FDR NO. 38277	00,000,000.0	-	10,364,582.00
FDR NO. 38357	00,000,000.0	-	10,364,582.00
FDR NO. 38539	00,000,000.0	-	10,364,582.00
FDR NO. 13271	00,000,000.0	-	9,215,330.00
FDR NO. 13544	00,000,000.0	-	10,367,247.00
FDR NO. 13714	00,000,000.0	-	10,367,247.00
FDR NO. 13849	00,000,000.0	-	10,367,247.00
FDR NO. 11600	00,000,000.0	-	10,349,204.00
FDR NO. 11724	00,000,000.0	-	10,349,204.00
FDR NO. 12036	00,000,000.0	-	10,349,204.00
FDR NO. 12241	00,000,000.0	-	10,349,204.00
Interest accrued			4,490,764.00
TOTAL		393,595,802.00	334,791,823.00



CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG

SCHEDULE - "G" SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1. BASIS FOR PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENT:

These accounts have been prepared under the historical cost convention on the basis of a going concern, with revenues earned and expenses actually paid i.e. cash method of accounting. The financial statements are prepared in accordance with the generally accepted accounting principles and provisions of the statute have been followed.

2. FIXED ASSETS:

Fixed assets are stated at cost less depreciation. Cost of acquisition of fixed assets is inclusive of all expenses.

3. DEPRECIATION:

Ayog has provided for depreciation as per rates prescribed under The Income Tax Act.

4. TAXATION:

Provision for current and deferred taxation to be done as per Income Tax Act 1956

B. NOTES TO ACCOUNTS:

- (i) Figures of the previous year have been re-arranged/re-grouped wherever considered necessary so as to make them comparable with current year's figures.
- (ii) Contingent Liabilities: - The liability of Rs.60,59,944/- towards interest due on endowment fund payable to such depositors has not been accounted for in books of accounts as the same would be accounted on payment basis.
- (iii) Tax Provision: - The AYOG is a body enacted under a separate enactment. It is constituted to regulate the conduct of private sector universities in the state of Chhattisgarh. It is also designated agency for allowing set up of any private university in the state of Chhattisgarh. In view of which it fulfills the criteria stipulated under section 10(46) of the I.T Act for getting full exemption of its income/surplus. The income tax department is actively considering issue of notification in this regard. Apart




From this, AYOG has already been approved for exemption under other applicable sections of the IT Act. As AYOG has been recognizing the refund of Endowment funds as its application of surplus and has accordingly not made any provision of income tax in its books of account.

SIGNATURES TO SCHEDULES "A" TO "G"

For, CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA
VINIYAMAK AYOG

For CHHATTISGARH NIJI
VISHWAVIDYALAYA VINIYAMAK AYOG


(Dr. Om Prakash Verma)
Chairman
[CHAIRMAN]


(Prof. B.P. Chandrakar)
Secretary
[MEMBER ADMIN.]

DATE: 28 AUG 2015

PLACE: RAIPUR

For, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REG. NO. 005408C


[K V RAJGOPAL]
PARTNER
M.NO. 415455

DATE:
PLACE: RAIPUR

